कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 1174 /क्षेत्रीय शाखा-1/2024 जबलपुर, दिनांक 22 / 10 /2024

कलेक्टर बालाघाट के पत्र क्रमांक 4805/स्टेनो-1/जि०पं०/2024 दिनांक 18/10/2024 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि बालाघाट जले में वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में 01 से 08वी कक्षा में नामांकन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये थे। नामांकन में प्रगति लाने हेतु श्री महेश शर्मा, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र बालाघाट के साथ सतत् समीक्षा की गई परंतु नामांकन की प्रगति जिले के लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2024-25 में नामांकन में 14690 की कमी पाई गई जिससे भविष्य में स्कूल बंद होने की स्थिति में है। श्री महेश शर्मा, जिला परियोजना समन्वयक द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कलेक्टर स्तर से कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी वांछित प्रगति नहीं लाई गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट के पत्र क्रमांक 4460/स्टेनो 1/जि०पं०/2024 दिनांक 26/09/2024 के द्वारा शालाओं में नवीन नामांकन बढाने एवं सी०एम० हेल्पलाईन की शिकायत के निराकरण हेतु निर्देश दिये गये परंतु श्री शर्मा द्वारा रूचि नहीं लिये जाने के कारण शालाओं में नामांकन की प्रगति एवं शिकायतों के निराकरण का प्रतिशत न्यून रहा है। उपरोक्त के फलस्वरूप श्री महेश शर्मा, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र बालाघाट के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई।

श्री महेश शर्मा, जिला परियोजना समन्वयक के उपरोक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आते है। अतः आचरण नियमों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप श्री महेश शर्मा, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र बालाघाट को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय बालाघाट नियत किया जाता है। श्री शर्मा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

(अभय वर्मा)
कमिश्नर
जबलपुर संभाग

पृष्ठां. क्रमांक 1175 /क्षेत्रीय शाखा-1/2024 जबलपुर, दिनांक 22/10 /2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, सर्व शिक्षा अभियान म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर, बालाघाट की ओर आदेश की एक अतिरिक्त प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । कृपया संलग्न आदेश की अतिरिक्त प्रति श्री महेश शर्मा, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र बालाघाट को तामील कराकर पावती तत्काल इस कार्यालय को भेजें। साथ ही उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र, आरोप विवरण, अभिलेख सूची, साक्ष्य सूची तथा अभिलेख सूची अनुसार संबंधित अभिलेखों की सत्यापित प्रति 10 दिवस की अवधि में अनिवार्य रूप से भेजें ।
4. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. श्री महेश शर्मा, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।

सहपत्र :- क्रमांक-2 के लिए ।

(अभय वर्मा)
कमिश्नर
जबलपुर संभाग